बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या — 03 / भू0अ0नि0(3)—विविध(वि0सर्वे0अमीन)—23 / 2022 1335 **पटना, दिनांकः—** 26/05/2023

आदेश

भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1621 दिनांक 02.07.2022 द्वारा श्रीमती दीक्षा सोनकर, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01127) की सेवा समाप्त की गयी थी। श्रीमती सोनकर द्वारा सेवा समाप्ति के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किए गए अपील अभ्यावेदन के आलोक में अपर मुख्य सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 4643 दिनांक 16.12.2022 द्वारा इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त पारित आदेश के आलोक में श्रीमती सोनकर द्वारा दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित होकर अपना योगदान भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में समर्पित किया गया है। योगदान समर्पित कर दिनांक 20.12.2022 से बिना वरीय पदाधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय पत्रांक 1287 दिनांक 03.02.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसके बावजूद भी श्रीमती सोनकर स्वयं उपस्थित न होकर अपना स्पष्टीकरण निदेशालय के ई—मेल द्वारा दी गयी है, जिसमे अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना अंकित नहीं की गयी है बल्कि अन्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका संबंध अनुपस्थिति से नहीं है। योगदान देकर इतनी लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के संबंध में एक अंतिम अवसर देते हुए निदेशालय पत्रांक 2014 दिनांक 06.02.2023 द्वारा पुनः 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

श्रीमती सोनकर द्वारा अपना स्पष्टीकरण 01 माह के बाद दिनांक 15.04.2023 को स्वयं उपस्थित न होकर ई—मेल के माध्यम से दी गयी है, जिसमें यह अंकित किया गया है इनकी तबीयत अत्यंत खराब रहने के कारण 03 माह से ये बिस्तर पर है, जिसके कारण इनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब देने में विलंब हुआ है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि ये अपनी बिमारी को व्यक्तिगत रखना चाहती हैं, जिसके कारण इनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती सोनकर द्वारा समय-समय पर दिए गए स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ये अपने पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं है, बल्कि अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए मामले को उलझाये रखना चाह रही हैं। इसका प्रमाण इस बिन्दु से भी है कि ये कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं जो कि इनके बिमारी को गुप्त रखा जाना आवश्यक है बल्कि ये सरकारी पदधारक यथा संविदा नियोजित कर्मी है, जिसे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन कार्य करना है। बगैर चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुपस्थित रहने दिया जाना उचित नहीं है। इनके इतनी लम्बी अनुपस्थिति के कारण विशेष सर्वेक्षण जैसा समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्य बाधित रहा है।

चूंकि बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए समयावधि निर्धारित है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती दीक्षा सोनकर, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01127) का योगदान देने की तिथि 19.12.2022 से योगदान अस्वीकृत किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू--अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(3)–विविध(वि0सर्वे0अमीन)–23 / 2022 4375 **पटना, दिनांक :–** 24/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती दीक्षा सोनकर, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01127) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(3)–विविध(वि0सर्वे0अमीन)–23 / 2022 4375 **पटना, दिनांक** :– 24/05/2023

प्रतिलिपि :– अपीलीय प्राधिकार–सह–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(3)–विविध(वि0सर्वे0अमीन)–23 / 2022 4375 **पटना, दिनांक** :– 24/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक 23/5/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप